

विशेष न्यायालय (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, कोर्ट संख्या:- 02, उन्नाव

UPUN010014702026



प्रकीर्ण वाद संख्या:- 104/2026

देशराज बनाम अमर सिंह आदि

दिनांक:- 03.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार लगाई गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा:- 173(4) बी०एन०एस०एस० में कथन किया गया है कि प्रार्थी देशराज पुत्र बदलू निवासी ग्राम छेदनीखेड़ा मजरा महतवानी थाना अजगैन जिला उन्नाव का निवासी है तथा अनुसूचित जाति पासी बिरादरी का है। प्रार्थी ने भूमि सं० 515 क रकबा 0.1060 हे० स्थित ग्राम महतवानी परगना झलोतर अजगैन तहसील हसनगंज जिला उन्नाव दिनांक 15.05.2025 को अमर सिंह पुत्र स्० रामरतन सिंह व बलवीर सिंह पुत्र स्व० रामरतन सिंह निवासी ग्राम मल्हौली सरदार नगर, परगना मोहान तहसील हसनगंज जिला उन्नाव से क्रय किया था। बैनामा बही सं० 1 जिल्द सं० 80141 के पृष्ठ सं० 267 से 284 तक क्रमांक 4931 रजि० कार्यालय हसनगंज उन्नाव में दर्ज है। प्रार्थी ने उपरोक्त भूमि मु० 4,50,000/- विपक्षीण को देकर बैनामा कराया था तथा विभिन्न मदों में मु० 50,000/-रु० खर्च किए थे तथा बयाने के तौर पर मु० 90,000/-रु० दिया था। बरवख्त बैनामा अमर सिंह बलवीर सिंह ने कहा था कि प्रतिफल की धनराशि खाते में डाल दीजिए और तुम्हारा बयाना वापस कर दूंगा। अमर सिंह व बलवीर सिंह ने उपरोक्त भूमि को ग्राम छेदनीखेड़ा प्राइमरी स्कूल के बगल में बताया था और बैनामा में भूमि की चौहद्दी भी गाँव से सटी एवं पूरब मकान बुद्धीलाल आदि व पश्चिम आरसीसी रास्ता व उत्तर में शिवचरन का खेत व दक्षिण में तालाब दिखाया गया है। चौहद्दी में विदित है कि उक्त वर्णित भूमि आबादी से सटी है। प्रार्थी अनपढ़ जाहिल होने के नाते अमर सिंह व बलवीर सिंह की बात पर यकीन कर लिया और उनके बताने के अनुसार ही जमीन खरीद लिया, लेकिन दाखिल खारिज होने के उपरान्त जब प्रार्थी कब्जा करने गया तो वह जमीन दूसरे व्यक्ति की निकली प्रार्थी ने कहा था कि यह जमीन मैंने क्रय की है इसलिए इस पर कब्जा मैं करूंगा तो वह लोग झगड़ा पर उतारू हो गए और यह भी कहा कि सर्किल लेखपाल से अपनी भूमि की जानकारी प्राप्त करले तो प्रार्थी ने थाना दिवस में प्रार्थना-पत्र दिया तो लेखपाल महोदय ने उपरोक्त भूमि नं० 0517 तालाबनुमा झील में स्थित है जानकारी दी। चूँकि व झील में 12 महीना कमर तक पानी भरा रहता है ऐसी स्थिति में अमर सिंह व बलवीर सिंह ने प्रार्थी के साथ छल व धोखाधड़ी किया है। कर्ज व जेवर बेचकर उक्त लोगों से जमीन क्रय की थी, प्रार्थी अब कहीं का नहीं रहा है। अमर सिंह व बलवीर सिंह बड़े आदमी हैं कई भट्टे व पेट्रोल पम्प एवं कृषि योग्य भूमि भी है। इसलिए प्रार्थी उनके सामने टिक नहीं सकता। प्रार्थी जब अमर सिंह व बलवीर सिंह से उनके दिग्गज वाले भट्टे पर मिला और कहा कि आप लोगों ने मेरा गला काट लिया है, जब भूमि सं० 0517 तालाब में है तो

आपने गलत जमीन दिखाकर बैनामा क्यों करवाया है तो उपरोक्त लोगों ने जातिसूचक गालियाँ देकर भगा दिया। प्रार्थी ने उक्त लोगों के धोखाधड़ी के विरुद्ध स्थानीय थाना अजगैन में शिकायत किया जिस पर जाँच कार्यवाही नहीं की गयी, तब प्रार्थी ने उच्चाधिकारियों से शिकायत किया, जिस पर जाँच कार्यवाही शुरू होने पर दिनांक 10.02.2026 को उपरोक्त अमर सिंह व बलवीर सिंह ने सुलह समझौता के लिए अजगैन रेलवे स्टेशन के पास बुलाया प्रार्थी समय 1 बजे दिन में पहुँचा तो उक्त दोनों लोग मिले कहा कि साले पासी हम लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत किया गन्दी-गन्दी गालियाँ जातिसूचक देने लगे, प्रार्थी ने गाली देने से मना किया तो दोनों लोगों ने बुरी तहर से लात घूँसों से मारा पीटा चिल्लाने पर वहाँ राहगीरों ने प्रार्थी की जान बचाई यह धमकी दी कि अगर दोबारा शिकायत किया तो जान से मार दूँगा। प्रार्थी उसी दिन थाना अजगैन शिकायत करने दिनांक 10.02.2026 को गया जिसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तब प्रार्थी ने दिनांक 17.02.2026 को एक प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक उन्नाव को भी दिया, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः निवेदन है कि थाना प्रभारी अजगैन उन्नाव को निर्देशित करने की कृपा करें कि वह प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कर कार्यवाही करें।

आवेदक के द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल किए गए हैं।

संबंधित थाना अजगैन से आख्या तलब की गई। थाना से प्राप्त उप-निरीक्षक मोर मुकुट पाण्डेय की आख्या के अनुसार प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं आख्या का अवलोकन किया।

धारा:- 156(3) दं०प्र०सं० के निस्तारण के सम्बन्ध में नजीर Mrs Priyanka Srivastava and others Vs State of U.P. and others 2015 AIR SCW 2075 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत अभिप्रकट किया है कि मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उपयुक्त मामले में तथ्य की जांच हेतु अधिकृत है जिसके लिए यह शपथ-पत्र लेकर कार्यवाही करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि तथ्यों की जांच करते समय आरोप के प्रकार पर विचार किया जाए क्योंकि अधिकांश मामले वैवाहिक, पारिवारिक मतभेद, वाणिज्यिक मतभेद, भ्रष्टाचार, चिकित्सीय उपेक्षा से सम्बन्धित होते हैं और ऐसे मामलों को बढ़ा चढ़ाकर विधिपूर्ण तरीके से तैयार कर न्यायालय में प्रेषित किया जाता है। उपरोक्त विनिश्चय में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि प्रार्थना-पत्र में दिए गए तथ्य की विश्वसनीयता को परखते हुए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए धारा:- 156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थना-पत्र पर विचार करना चाहिये एवं मापदण्डों के अनुरूप ही उक्त पर आदेश पारित करना चाहिये।

विधि व्यवस्था जोजेफ माधुरी उर्फ विशेश्वरी नन्दा आदि बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी आदि सुप्रीम कोर्ट 2001 (Suppl.) A.C.C. पृष्ठ 951, सुरेश चन्द्र जैन-बनाम-मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2001 Supreme Court पेज 571, मोहम्मद युसुफ-बनाम-आफाक जहाँ व अन्य 2006 (1) एस.सी.सी. (फौज.) पेज 1460 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा:- 156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थना-पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

इसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Naresh Kumar Valmiki v. State of U.P., Application under Section 482 No. 14443 of 2022 dated 17.10.2022, wherein Division

Bench of Hon. Allahabad High Court held that Exclusive Special Court or Special Court under the SC/ST Act, 1989 can treat an application under Section 156(3) of Cr.P.C., as a complaint.

इसी संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओम प्रकाश अम्बेडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2025 Live law (S.C.) 139 में भी कथन किया गया है कि the allegations made in the complaint are simple, where the Court can straightaway proceed to conduct the trial, the Magistrate is expected to record evidence and proceed further in the matter, instead of passing the buck to the Police under Section 156(3) of the Cr.P.C. Ofcourse, if the allegations made in the complaint require complex and complicated investigation which cannot be undertaken without active assistance and expertise of the State machinery, it would only be appropriate for the Magistrate to direct investigation by the police authorities. The Magistrate is, therefore, not supposed to act merely as a Post Office and needs to adopt a judicial approach while considering an application seeking investigation by the Police."

उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुक्रम में प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 10.02.2026 को प्रार्थी को विपक्षीगण अमर सिंह व बलवीर सिंह द्वारा जमीनी विवाद के सुलह समझौता के लिए अजगैन रेलवे स्टेशन के पास बुलाया गया था। प्रार्थी समय 1 बजे दिन में पहुँचा तो दोनों विपक्षीगण द्वारा गन्दी-गन्दी गॉलियों व जातिसूचक शब्द देने तथा प्रार्थी के गाली देने से मना करने पर विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को लात-घूँसों से मारने-पीटने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। आवेदक को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अभियुक्तगण के नाम व विवरण तथा साक्षियों के साक्ष्य की भी जानकारी है। विवेचना से किसी नए तथ्य के उद्भूत होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः आवेदक प्रार्थना-पत्र में किए गए तथ्यों के बाबत साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है।

प्रार्थना-पत्र में दर्शित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच प्रक्रिया का अनुसरण करके आदेशिका पर विचार किया जाना न्यायोचित पाती है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज हो। तदनुसार प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादिनी अन्तर्गत धारा:- 223 बी०एन०एस०एस० दिनांक 11.09.2026 को पेश हो।

दिनांक:- 03.07.2026

(अंकिता शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या:-02, उन्नाव